

27/6/11

मे.सू.मं.

2011-12  
45000/-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विष्णुकान्त दिवेदी

होमगारि

09 MAY 2011

मोहल्ला, आगरा



S 981729

64

1. भूमि का प्रकार- भूमि नॉन जैड. ए. आवासीय
2. प्लॉट/परगना- आगरा
3. मोहल्ला- ग्राम लश्कर पुर मुहाल्ला चौखे लाल कब्जा नम्बर एक तहसील व जिला आगरा।
4. सम्पत्ति का विवरण- खुली नॉन जैड. भूमि निम्नजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 मुहाल्ला चौखे लाल कब्जा नम्बर ग्राम लश्कर पुर
5. मापन की ईकाई- वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 21.02
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)- लागू नहीं
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कानर आदि)-
  - कॉर्नर - नहीं
  - दो मार्ग - नहीं
  - पार्क फेसिंग - नहीं
  - मुख्य मार्ग - नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार- खुली जिर्मींदारी भूमि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)- लागू नहीं
11. कुल आधुनिक क्षेत्रफल- लागू नहीं

Scanned

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

Reimbursement  
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

विमोद कुमार

DIRECTOR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 981730

निष्ठादायक विवेदी

हस्ताक्षर

03 MAY 2019

कै. 10/11/18, 10/11/18

12. स्थिति- फिनिश/सेमीफिनिश/अन्य- लागू नहीं

13. पट्टी का मूल्यांकन- लागू नहीं

14. बोरिंग/कूआँ/अन्य- लागू नहीं

15. निर्मित क्षेत्रफल- लागू नहीं

16. निर्माण का वर्ष- लागू नहीं

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं

18. प्रतिफल की धनराशि- 45,000/- पैंतालीस हजार रुपये में

19. चौहद्दी-

| दिशा-   | माप-      | सीमाये-                                                             |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| पूर्व-  | 9.14 मीटर | सम्पत्ति श्री बाबू लाल कालरा।                                       |
| पश्चिम- | 9.14 मीटर | अन्य सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| उत्तर-  | 2.3 मीटर  | अन्य सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड |
| दक्षिण- | 2.3 मीटर  | सड़क आम. इस ओर विकास आदि इस भूमि के हैं                             |

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

श्री. सुनील कुमार  
उपनिर्देशक  
03 MAY 2015  
कलकत्ता, भारत

प्रथमपक्ष की संख्या (एक) विक्रेता का विवरण-

1. मैं- मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री (भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932 के संशोधनों के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत भागीदारी फर्म, कि जिसका अंतिम सविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के संशोधित हुआ है) पंजीकृत कार्यालय स्थित सुल्तानगंज आगरा द्वारा वर्तमान भागीदारगण-

1.1 श्री नंद किशोर गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय- व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी-147, सेक्टर-26, नौयंडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 84 वदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

1.2 श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय- व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी-147, सेक्टर-26, नौयंडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 283 से 292 क्रमांक 83 वदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980338

विष्णुकान्त द्विवेदी

होलाधिकारी

09 MAY 2011

होलाधिकार, बाग

द्वितीयपक्ष की संख्या (एक), केता का विवरण-

1. नाम- सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनीज अधिनियम वर्ष 1956 के प्राविधानों के अनुसार इनकॉर्पोरेटेड कम्पनी, इनकॉर्पोरेशन संख्या यू 45400 यूपी 2008 पीटीसी 035002 वर्ष 2008-2009, आर. ओ. सी. उ० प्र० एवं उत्तरांचल) पंजीकृत कार्यालय स्थित 18/160ए/1-सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतिहाबाद रोड, शहर आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं प्रतिनिधिगण-

1.1 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री हरेशचन्द्र निवासी 18/160ए/1सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतिहाबाद रोड, शहर आगरा, व्यवसाय-व्यापार व

1.2 श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी ई-14/15, रश्मि नगर, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय-व्यापार।

उ० प्र० स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की अनुसूची 1-बी के आर्टिकल 23ए के अनुसार स्टांम्पित

- खुली ज़िम्मेदारी भूमि

- द्वितीयपक्ष तादादी 45,000/- पैंतालीस हजार रुपया।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 314141

विशेष न्यायालय

लखनऊ

०१/०५/२०११

सं. ११११/२०११

- एक किता खुली जमींदारी भूमि मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 मुहाल चोखलाल कब्जा नम्बर ग्राम लखन पुर आबादी कब्जा नं. 1 हरीपर्वत चार्ड शहर आगरा क्षेत्रफल 21.02 वर्गमीटर, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाई गई है और जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा जिसके चारों ओर 50 मीटर की त्रिज्या में नये-पुराने आवासीय भवन व खुले भूखण्ड है, मय कुल अधिकार मुतालिका कि जिसकी नाप एवं सीमाये उपरोक्त दी गई हैं।

- कलक्टर आगरा के द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के भाग 2 (क) (111) के पृष्ठ संख्या 18 के फनार्क 6 के कॉलम संख्या 6 के अनुसार भूमि की दर 15,000/- रुपया प्रति वर्गमीटर घोषित की है।

- उक्त दर व वास्तविक बिक्रयमूल्य के अनुसार स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 3,16,000/- रुपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से विलनुक्ता 22,500/- रुपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष ने अदा कर दिया है।

विक्रयपत्र

हम कि -

1. मैसर्स बी सी आयरन फाउण्ड्री (पार्टनरशिप फर्म) उक्त - विक्रेता प्रथमपक्ष व
2. मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त - क्रेता द्वितीयपक्ष हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 970725

3. यह कि श्रीमती विद्यावती देवी ने उक्त आराजी को द्वारा पट्टापत्र लिखित श्रीमती विद्यावती देवी बहक ला0 काशी नाथ पुत्र ला0 कांता प्रसाद लेख दिनांक 06/04/1943 व निबन्धन दिनांक 21/08/1943 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द सं0 136 पृष्ठ 294 से 296 क्रमांक 2145 वदफ्तर उप निबन्धक आगरा के ला0 काशीनाथ उक्त को सशर्त पट्टे पर दिया।
4. यह कि श्रीमती विद्यावती ने उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिकाना हकों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती विद्यावती उक्त बहक ला0 चानन लाल पुत्र ला0 बाल मुकन्द अग्रवाल निवासी मोहल्ला भण्डारी करवा बटाला जिला गुरुदासपुर, पूर्वी पंजाब लेख दिनांक 23/12/1957 व निबन्धन दिनांक 27/12/1957 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1401 पृष्ठ 219 से 222 क्रमांक 4976 व मुसन्ना क्रमांक 4977 वदफ्तर उप निबन्धक आगरा के उक्त ला0 चानन लाल को विक्रय कर दिया।
5. यह कि उक्त पट्टाशुदा आराजी के मूल पट्टाधारक ला0 काशी नाथ ने अपनी कुल आराजी पट्टाशुदा के समस्त पट्टे के अधिकारों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित ला0 काशी नाथ बहक ला0 चानन लाल उक्त लेख दिनांक 10/12/1958 व निबन्धन दिनांक 15/12/1958 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1467 पृष्ठ 16 से 20 क्रमांक 6130 व मुसन्ना क्रमांक 6131 से 6133 वदफ्तर उप निबन्धक आगरा के विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त ला0 चानन लाल उक्त कुल आराजी के एकमात्र मालिक बने।

FOR SURYA INFRABUILD (II) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (II) PVT. LTD.

*Ramyanand*  
MANAGING DIRECTOR

*10/12/2021*  
DIRECTOR



- उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 970726

6. यह कि उक्त ला० बालमुकन्द अग्रवाल का संयुक्त कारोबार था। उनके चार पुत्रगण सर्वश्री चानन लाल व मनोहर लाल व धर्मपाल व केदार नाथ थे। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को संयुक्त कारोबार के धन से कय किया था और उक्त भूमि के कुछ भाग पर निर्माण कराया, तदोपरान्त ला० चानन लाल का नामांकन नगर निगम आगरा के अभिलेखों में दर्ज हो गया।
7. यह कि ला० चानन लाल ने अपने पिता ला० बाल मुकन्द अग्रवाल तथा अपने भाई ला० केदार नाथ व उनके पुत्र श्री गंद किशोर पुत्र ला० केदार नाथ एवं अपने पुत्र श्री राज कुमार को भागीदार बनाते हुये एक भागीदारी फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री (बाल मुकन्द चानन लाल) का द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 22/03/1977 को गठन किया। फर्म के कारोबार का संचालन उक्त भूमि पर बने हुये उक्त भवन एवं शेष खाली भूमि पर किया जाता था क्योंकि बाल मुकन्द का कारोबार संयुक्त था। ला० चानन लाल ने उक्त भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार के धन से कय किया था। अतः उक्त भूमि के स्वामित्व एवं फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गये, जिनके सम्बन्ध में एक दीवानी याद संख्या 155/1978 वान्यायालय सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चानन लाल) स्थापित हुआ, जिसके विरुद्ध एक सिविल रिवीजन संख्या 254/1980 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (केदार नाथ बनाम चानन लाल) स्थापित हुई। रिवीजन के दौरान पक्षकारों के मध्य इस आधार पर

10 APR 2011

FOR SURYA INFRABUILD (II) PVT LTD FOR SURYA INFRABUILD (II) PVT. LTD.

Managing Director

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 970727

समझौता हो गया कि पक्षकारों के मध्य उक्त जायदाद एवं फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जावे। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04/1/1980 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री जी० एस० माथुर को पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवादों का निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया। इस मध्य ला० चानन लाल का दिनांक 23/12/1980 को स्वर्गवास हो गया। मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 20/03/1981 को अपना निर्णय (अवार्ड) पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पक्षकारों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, परन्तु पक्षकारों के मध्य पुनः समझौता हो गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 155/1978 वान्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चानन लाल) की पत्रावलि आदेश दिनांक 06/03/1984 के द्वारा स्वयं वाद का अंतिम निस्तारण करने के लिये उच्च न्यायालय में मंगा ली। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09/03/1984 के द्वारा वाद संख्या 155/1978 को राजीनामा दिनांक 05/03/1984 के आधार पर अंतिमरूप से निर्णीत कर दिया और मध्यस्थ माननीय न्यायमूर्ति श्री जी० सी० माथुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20/03/1981 की पुष्टि की। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/03/1984 अंतिम हो चुका है। राजीनामा में उपरोक्त जायदाद का स्वामित्व सभी पक्षकारों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री आगरा या स्वीकार किया गया और ला० चानन लाल

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

*Ramya*  
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

*15/03/84*  
DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 970728

के विधिक उत्तराधिकारीगण, जो उक्त फर्म के भागीदार थे, ने अपने हिस्से का रुपया लेकर उक्त फर्म से निवृत्त (रिटायर) हो गये। परिणाम स्वरूप उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री में केवल श्री केदार नाथ व श्री नंद किशोर भागीदार रह गये। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री की सम्पत्ति है और वह उसकी एकमात्र मालिक व काबिज व दखील है।

8. यह कि उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के भागीदार ला० केदार नाथ की मृत्यु दिनांक 10/03/2003 को हो गई। अतः उक्त फर्म का संविधान स्वतः भंग हो गया। फर्म का कारोबार बंद हो चुका है। ला० केदार नाथ की अंतिम इच्छा के अनुसार एवं पारिवारिक व्यवस्था में उनके सभी उत्तराधिकारियों की सहमति पर उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल उक्त फर्म की भागीदार बन गई। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म का संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के द्वारा लिखा गया, जिसके अनुसार उक्त फर्म के केवल दो भागीदार श्री नंद किशोर एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल हैं। यद्यपि उक्त फर्म का कारोबार बंद हो चुका है फिर भी पुराने कारोबार के कुछ देने-लेने आदि हैं।

9. यह कि उपरोक्त उक्त सीमांकित भूमि की उक्त प्रथमपक्ष फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री एकमात्र मालिक व काबिज हैं।

FOR SURYA INFRA BUILD (II) PVT LTD

*Ramya*  
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRA BUILD (II) PVT. LTD.

*विनायक कुमार शर्मा*

DIRECTOR



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 970731

10. यह कि उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई दावेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, बिक्रय, दान, जमानत, सौदे आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धर्मादा आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथम में प्राप्त किया है। उक्त सभी वर्णित विलेख मौजूद हैं और किसी भी आद या जमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

11. यह कि द्वितीयपक्ष श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल एवं श्री नंद किशोर अग्रवाल, कि जो उक्त बिक्रेता द्वितीयपक्ष मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री के संवैधानिकरूप से भागीदार हैं, उक्त ला० केदार नाथ अग्रवाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण हैं। ला० केदार नाथ अग्रवाल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके समस्त उत्तराधिकारीगण के उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार ला० केदार नाथ अग्रवाल की उक्त भागीदारी फर्म में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल मालिक व दावेदार बनीं और अन्य उत्तराधिकारीगण का कोई हक या दावा आदि न तो स्थापित हुआ और न माना गया और उक्त फर्म में ला० केदार नाथ अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल भागीदार बन चुकी हैं। इस सम्बन्ध में ला० केदार नाथ अग्रवाल के उत्तराधिकारियों के मध्य पारिवारिक बँटवारा प्रभाव में आ चुका है जिसके सम्बन्ध में एक

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

Managing Director

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

स्मृतिपत्र भी उनके मध्य लिखा जा चुका है और विभिन्न विक्रयपत्रों में ला0 केंदार नाथ के अन्य उत्तराधिकारिगण उक्त द्वितीयपक्ष के स्वामित्व को पुष्टित कर चुके हैं।

12. यह कि उक्त भूमि बहुत ही संकरी पट्टी के रूप में है और मौके की जो स्थिति है वह संलग्नक फोटो से स्पष्ट है तथा द्वितीयपक्ष की अन्य सम्पत्ति से सटी हुई है और उसके लिये ही उपयोगी है।

13. यह कि उक्त भूमि से प्रथमपक्ष को कोई लाभ नहीं है और निष्प्रयोजित होने के कारण प्रथमपक्ष ने एकमत से यह सुनिश्चित किया है कि उक्त भूमि को बाजार में अधिक से अधिक मूल्य पर विक्रय कर दिया जावे और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल केता द्वितीयपक्ष अपनी संलग्नक सम्पत्ति के विस्तार के लिये सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक कीमत प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः हम प्रथमपक्ष उक्त सीमांकित भूमि को केता द्वितीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

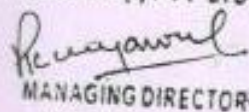
14. यह कि उक्त सभी मुख्तारनामे बाजाबा निष्पादित एवं निबन्धित हुये हैं और आज तक कायम व बरकरार हैं और उनके किसी भी अधिकार आदि में कोई कमी नहीं हुई है और उनके निष्पादकगण जीवित हैं।

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि के बिना बहकाये सिखाये दबाब नाजायज के खूब सौच समझकर उक्त फ्रीहोल्ड भूमि निनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर क्षेत्रफल 21.02 वर्गमीटर, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से दिखाया गया है, को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांकन के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से विलमुक्ता वएवज 45,000/- पैंतालीस हजार रुपया कि आगे जिसके 22,500/- बाईस हजार पाँच सौ रुपया होते हैं वदस्त मेसर्स सूर्या इन्फ्राविल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, उक्त केता द्वितीयपक्ष, के गुड टायटिल के साथ बैच कतई किया और बेच दिया।

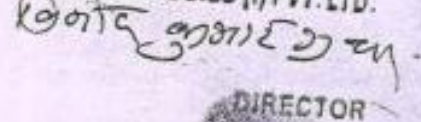
विक्रय संविदा इस प्रकार है -

1. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया इस विक्रयपत्र के निष्पादन से पूर्व नीचे लिखे विवरणानुसार केता द्वितीयपक्ष से प्राप्त करके मुजरा दिया। इस तरह विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य होगा।
2. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि पर से अपना कब्जा व दखल हटा लिया और केता द्वितीयपक्ष का कब्जा व दखल बेची गई भूमि पर सीमाओं के अनुसार करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूमि का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड टायटिल दे दिया। द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि को अपनी अन्य सम्पत्ति में मिलाकर एकजान कर लिया।

  
FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

  
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

  
DIRECTOR

3. यह कि बिक्रेता प्रथमपक्ष के स्थान पर अब केता द्वितीयपक्ष उक्त बिक्रीत भूमि के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हो गये।
4. यह कि अब केता द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त बिक्रीत भूमि से वहसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे। ऋण, बिक्रय आदि करें। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। निर्माण, नव-निर्माण आदि करावें और चाहे जिस प्रकार स्तैमाल में लावें अथवा जो चाहे सो करें।
5. यह कि केता द्वितीयपक्ष बिक्रीत भूमि पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करावें, बिक्रेता प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
6. यह कि आज तक के बकाया लगान / कर आदि, यदि कोई होंगे, तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के केता द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।
7. यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का उक्त बिक्रीत भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा केता द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या किसी भी बिक्रेता के डिफेक्टिव टायटिल से या उनकी किसी गलत व्यानी के कारण या बिक्रीत भूमि पर पहले से कोई वार या चार्ज आदि पाये जाने के कारण या इस बिक्रय या बिक्रयपत्र में कोई डिफेक्ट पाये जाने के कारण कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त देवी गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जबाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद व हर्जा व खर्चा के वजिम्मे जात खास व जायदाद हरकिस्म बिक्रेता व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के हैं और आयन्दा होगा और इसमें बिक्रेता व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. यह कि इस बिक्रय व बिक्रयपत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन, निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो केता द्वितीयपक्ष की मौंग व खर्च पर बिक्रेता प्रथमपक्ष निष्पादित व निबन्धित करने के लिये बाध्य हैं और रहेंगे।
9. यह कि इस बिक्रयपत्र का कुल खर्चा केता द्वितीयपक्ष के जिम्मे है। यह मूल बिक्रयपत्र केता द्वितीयपक्ष के पास रहेगा। प्रथमपक्ष ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस बिक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्राप्त कर ली है।
10. यह कि बिक्रेता ने उक्त कागजात की प्रमाणित छायाप्रतियाँ केता द्वितीयपक्ष के सुपुर्द कर दी हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

*Ramya*  
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

*विमल कुमार*  
DIRECTOR

11. यह कि हम पक्षों के स्थाई आयकर लेखा संख्या निम्नलिखित हैं: -

|                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री                         | A | A | B | F | B | 3 | 9 | 3 | 1 | A |
| मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड | A | A | M | C | S | 3 | 9 | 6 | 3 | R |

12. यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया द्वितीयपक्ष से नीचे लिखे बैंक के द्वारा प्राप्त किये-

| बैंक सं०                                    | दिनांक-    | तादादी-  | बैंक                           |
|---------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|
| 762331                                      | 16/05/2011 | 45,000/- | पंजाब नेशनल बैंक बेलन गंज आगरा |
| कुल योग 45,000/- पैंतालीस हजार रुपया मात्र। |            |          |                                |

अतः यह विक्रयपत्र हम पक्षों ने स्वेच्छा से निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। लेख दिनांक 17 सत्रह माह मई वर्ष 2011 ईश्वी। प्रारूप- हनुमान प्रसाद कौशल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील जिला आगरा पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया जिससे संतुष्ट होकर पक्षकारों ने इसे नीचे लिखे साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया।

हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड  
 दिनांक 16/05/2011  
 मोबाईल नं० 90-  
 पता- 311, पुरीकाली रास्ता, देहली-110021

हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल बहसियत मुख्तार मिर्जाजिरी श्री नंद किशोर गोयल एवं श्रीमती कैलाशप्रती अग्रवाल भागीदार मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री प्रथमपक्ष -

हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड  
 फता-

हस्ताक्षर विनाय कुमार गुप्ता अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड फता-

गवाह श्री Balraj Lal  
 पुत्र श्री विनय कुमार कालका  
 निवासी 311, पुरीकाली रास्ता  
देहली-110021

गवाह श्री विनाय कुमार गुप्ता  
 पुत्र श्री विनय कुमार गुप्ता  
 निवासी 23/515 नवी 231  
आगरा

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

Ramprasad  
 MANAGING DIRECTOR



FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

विनाय कुमार गुप्ता  
 DIRECTOR



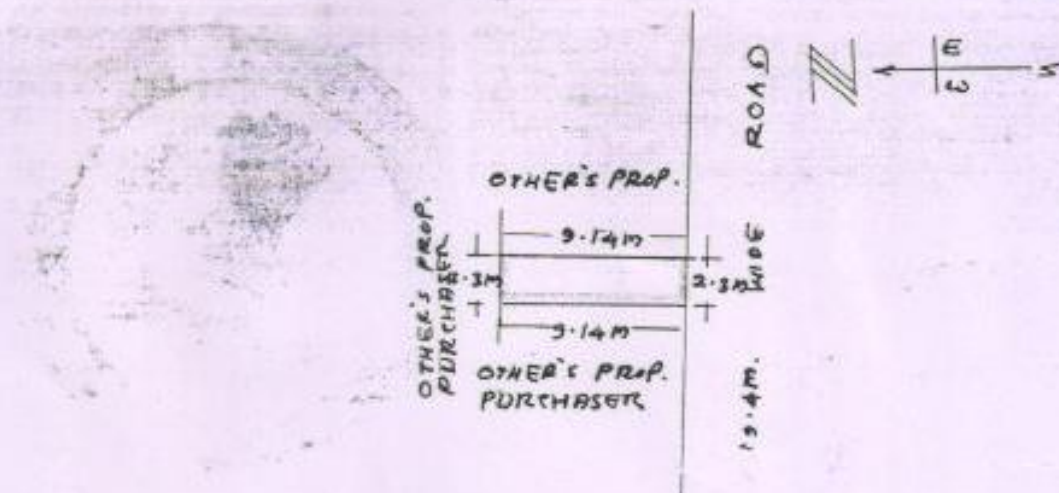
SITE PLAN OF PLOT, SITUATED AT MAUZA  
LASHKARPUR HARI PARWAT WARD AGRA  
KH. No. 318 TO 324, 632, 633.

SELLER: M/S B. C. IRON FUND.

PURCHASER: SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

(SHOWN IN RED COLOUR)

SCALE 30' = 1"  
AREA 21.02 SQ. M.



TRUE COPY

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR - *[Signature]* DIRECTOR

*[Signature]*

*[Signature]*  
Dy. Commr. & Surveyor  
Tadar Tehsil AGRA